हिंदी प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजनाएं

1. **हिंदी परीक्षाएं -** हिंदी प्रशिक्षण के लिए प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम है। इन पाठयक्रमों की अवधि 5-5 महिनों की है। ये पाठयक्रम पूर्णकालिक हैं और इन्हें नियत कार्य दिवसों में पूरा किया जाता है। पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए जाते हैं तथा विशेष योग्यता के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निम्नलिखित राशि प्रदान की जाती है :-

	प्रवीण	प्राज्ञ
70% से अधिक अंक प्राप्त करने पर	1800/- रुपए	2,400/- रुपए
60% से 69% तक अंक प्राप्त करने पर	1,200/- रुपए	1,600/- रुपए
55% से 59% तक अंक प्राप्त करने	600/- रुपए	800/- रुपए

वैयक्तिक वेतन – हिन्दी भाषा की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है| वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं राजपत्रित अधिकारियों/ अराजपत्रित कर्मचारियों को प्राज्ञ परीक्षा उतीर्ण करने पर दिया जाता है। जिनके लिए प्राज्ञ पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है।

2. **हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षा विशेष योग्यता से पास करने पर नकद पुरस्कार -**

हिंदी टंकण /आशुलिपि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य कर्मचारियों को हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में कौशलता प्रदान करना है ताकि वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के टंकण और आशुलिपि में दक्षता प्राप्त कर सकें। सफल प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाते हैं तथा विशेष योग्यता के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निम्नलिखित राशि प्रदान की जाती है :

हिंदी टंकण	पुरस्कार राशि
90% से 94% तक अंक प्राप्त करने पर	800/- रुपए
95% से 96% तक अंक प्राप्त करने पर	1,600/- रुपए
97% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2,400/- रुपए

हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि, जो आगामी वेतन वृद्धि में मिला दी जाती है, के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

हिंदी आशुलिपि	पुरस्कार राशि
88% से 91% तक अंक प्राप्त करने पर	800/- रुपए
92% से 94%, तक अंक प्राप्त करने पर	1,600/- रुपए
95% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2,400/- रुपए

अराजपत्रित हिंदी भाषी आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि, जो आगामी वेतन वृद्धि में मिला दी जाती है, के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। जिन आशुलिपिकों जपत्रित/अराजपत्रित दोनों) की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दो वेतन वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है| ये वेतन वृद्धियां भावी वेतन वृद्धियों में मिलाई जाएँगी| ऐसे कर्मचारी पहले वर्ष दो वेतन वृद्धियों के बराबर और दूसरे वर्ष पहली वेतन वृद्धि को मिला दिए जाने पर केवल एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर सकते हैं|

3. आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को देय प्रोत्साहन भत्ता - अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी टाइपिंग/हिंदी आशुलिपि का कार्य करने वाले अंग्रेजी टंकक/आशुलिपिकों को क्रमशः**160/- रुपए तथा 240/- रुपए** हिंदी प्रोत्साहन भत्ता प्रतिमाह की दर से दिया जाता है।

4. हिंदी में डिक्टेशन देने वाले अधिकारियों को देय पुरस्कार - इस योजना के अंतर्गत हिंदी में डिक्टेशन देने वाले एक हिंदी भाषी और एक हिंदीतर भाषी रेल अधिकारी को प्रतिवर्ष निम्नानुसार नकद पुरस्कार दिए जाते हैं

हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार	शब्द सीमा	राशि
क एवं ख क्षेत्र	**20,000/-**	**5,000/- रुपए**
ग क्षेत्र	**10,000**	**5,000/- रुपए**

5. रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता - इस योजना का उद्देश्य रेल कर्मचारियों को **'रेल संचालन और प्रबंधन'** संबंधी विषयों पर निबंध लेखन के प्रति प्रेरित करना है। निबंध 2500 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। योजना के अंतर्गत राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए अलग-अलग निम्नलिखित पुरस्कार निर्धारित हैं :-

प्रथम पुरस्कार 6000/- रुपए (राजपत्रित तथा अराजपत्रित के लिए एक-एक)

द्वितीय पुरस्कार 4000/- रुपए (राजपत्रित तथा अराजपत्रित के लिए एक-एक)

6. मूल हिंदी टिप्पण एवं प्रारुप लेखन पुरस्कार योजना - सरकारी कामकाज में वर्ष के दौरान 20 हजार या अधिक शब्द हिंदी में लिखने वाले कर्मचारी इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं और प्रत्येक विभाग /यूनिट को दस पुरस्कार दिए जा सकते है :-

प्रथम पुरस्कार (दो)	**5,000/- रुपए (प्रत्येक)**
द्वितीय पुरस्कार(तीन)	**3,000/- रुपए (प्रत्येक)**
तृतीय पुरस्कार(पांच)	**2,000/- रुपए (प्रत्येक)**

7. हिंदी निबंध और वाक् प्रतियोगिताएं - रेल कार्यालयों में राजभाषा प्रयोग-प्रसार बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करनेवाले अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नलिखित राशि प्रदान की जाती है :-

	क्षेत्रीय स्तर पर	अखिल भारतीय स्तर पर
प्रथम पुरस्कार	**2,000/- रुपए**	**5,000/- रुपए**
द्वितीय पुरस्कार	**1,600/- रुपए**	**4,000/- रुपए**
तृतीय पुरस्कार	**1,200/- रुपए**	**3,000/- रुपए**
सांत्वना पुरस्कार	**800/- रुपए (तीन)**	**2,500/- रुपए (पांच)**

8. हिंदी टिप्पण एवं प्रारुप लेखन प्रतियोगिता छ :-

यह प्रतियोगिता अखिल भारतीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करनेवाले कर्मचारियों को निम्नलिखित राशि प्रदान की जाती है।

	क्षेत्रीय स्तर पर	अखिल भारतीय स्तर पर
प्रथम पुरस्कार	**2,000/- रुपए**	**5,000/- रुपए**
द्वितीय पुरस्कार	**1,600/- रुपए**	**4,000/- रुपए**
तृतीय पुरस्कार	**1,200/- रुपए**	**3,000/- रुपए**
सांत्वना पुरस्कार	**800/- रुपए (तीन)**	**2,500/- रुपए (पांच)**

9. रेल मंत्री राजभाषा शील्ड/ट्रॉफी पुरस्कार योजना - इस योजना के तहत रेल मंत्रालय द्वारा 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित प्रधान कार्यालयों /मंडलों तथा उत्पादन कारखानों को राजभाषा में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने हेतु अलग-अलग शील्ड, ट्रॉफी तथा चल वैजयंती प्रदान की जाती है । चुने गए सर्वश्रेष्ठ आदर्श स्टेशन/कारखाना को शील्ड के साथ-साथ 7000/-, 7000/- रुपए की नकद राशि भी प्रदान की जाती है, जिसे कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है ।

10. चिरेका राजभाषा व्यक्तिगत पुरस्कार - इस योजना के अंतर्गत वर्ष में चार बार होने वाली राकास की बैठक में तिमाही के दौरान हिंदी में प्रशंसनीय कार्य करनेवाले **5(पांच)** रेल कर्मियों को पुरस्कृत किया जाता है और देय पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।

11. रेल मंत्री व्यक्तिगत पुरस्कार - इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष हिंदी में प्रशंसनीय कार्य करनेवाले **3 (तीन)** रेल कर्मियों को पुरस्कार राशि **3000/- रुपए** प्रत्येक को प्रदान की जाती है। इसमें चिरेका से एक(1) अधिकारी एवं 2(दो) कर्मचारियों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जाता है।

12. लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन योजना तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए - रेल तकनीकी विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की है। पुस्तक का विषय रेल संचालन या रेल प्रबंध से संबंधित होता है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित राशि प्रदान की जाती है ।

प्रथम पुरस्कार	**(एक) 20,000/- रुपए**
द्वितीय पुरस्कार	**(एक) 10,000/- रुपए**
तृतीय पुरस्कार	**(एक) 7,000/- रुपए**

13. प्रेमचन्द पुरस्कार एवं मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना - रेल कर्मियों की साहित्यिक प्रतिभा और अभिरुचि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय ने कथा संग्रह /उपन्यास और कहानी पुस्तक लेखन पर प्रेमचन्द पुरस्कार एवं काव्य संग्रह के लिए मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना लागू की है । पुस्तक लेखक की मौलिक कृति होनी चाहिए और पहले कहीं से पुरस्कृत न हो । किसी अन्य भाषा से ली गई अनूदित अथवा सम्पादित पुस्तकों पर विचार नहीं किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत एक लेखक को लगातार दो वर्ष तक पुरस्कृत नहीं किया जाता है।

प्रथम पुरस्कार	**(एक) 20,000/- रुपए**
द्वितीय पुरस्कार	**(एक) 10,000/- रुपए**
तृतीय पुरस्कार	**(एक) 7,000/- रुपए**

14. रेल यात्रा वृत्तांतों पर पुरस्कार - आम लोगों और रेल कर्मियों के रेल यात्राओं संबंधी अनुभव के आधार पर प्रत्येक कलेंडर वर्ष में पाए गए सर्वोत्तम यात्रा वृत्तांत के लिए निम्नानुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते है :-

प्रथम पुरस्कार	**(एक) 10,000/- रुपए**
द्वितीय पुरस्कार	**(एक) 8,000/- रुपए**
तृतीय पुरस्कार	**(एक) 6,000/- रुपए**
प्रेरणा पुरस्कार	**(पांच) 4,000/-रुपए**

16. **राजभाषा गौरव मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना (केंद्र सरकार के कार्मिकों के लिए)**

केन्द्रीय सरकार में सेवारत या सेवानिवृत्त कार्मिकों को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं| पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से गठित एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य,विद्वान् भी शामिल किये जाते हैं| पुस्तक लेखन पुरस्कार की राशि निम्न प्रकार हैं

प्रथम पुरस्कार :	**1,00,000 रु. प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह**
द्वितीय पुरस्कार	**75,000 . प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह**
तृतीय पुरस्कार	**60,000. प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह**
प्रोत्साहन पुरस्कार	**30,000. प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह**

17. **राजभाषा गौरव ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना (सभी नागरिकों के लिए)**

यह योजना आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न विधाओं पर हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है| इस योजना में देश का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है| पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से गठित एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य/विद्वान भी शामिल किये जाते हैं| योजना के अंतर्गत निम्नलिखित राशियों के 13 नगद पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है:

प्रथम पुरस्कार (एक)	**2,00,000/- रुपए . प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह**
द्वितीय पुरस्कार (एक)	**1,25,000/- रुपए प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह**
तृतीय पुरस्कार (एक)	**75,000/- रुपए . प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह**
प्रोत्साहन पुरस्कार(दस)	**10,000/- रुपए प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रत्येक को**

18. **राजभाषा गौरव उत्कृष्ट लेखों के लिए पुरस्कार योजना (केंद्र सरकार के कर्मिकों के लिए)**

केंद्र की नीति के अनुसार सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की गई हैं| इसी के अंतर्गत केंद्र सरकार के अधिकरियों/कर्मचारियों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु एक पुरस्कार योजना शुरू की गई है| इस योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट लेख के लेखकों को दो वर्गों, हिंदी और हिंदीतर, में तीन-तीन पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

	हिंदी भाषी	**हिंदीतर**
प्रथम पुरस्कार	**(एक) 20,000/- रुपए**	**(एक) 25,000/- रुपए**
द्वितीय पुरस्कार	**(एक) 18,000/- रुपए**	**(एक) 22,000/- रुपए**
तृतीय पुरस्कार	**(एक) 15,000/- रुपए**	**(एक) 20,000/-रुपए**

They say a person needs just three things to be truly happy in this world
someone to love, something to do,
and something to hope for.